न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 06 / 2013

1 हरिराम पुत्र स्व. भींवाराम
2 इन्द्राज पुत्र स्व. भींवाराम
3 बीरबल पुत्र स्व. भींवाराम
4 मु. श्याना पुत्री स्व. भींवाराम
5 मु. मनकोरी पुत्री स्व. भींवाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.
।

अपीलांटस

बनाम

1 रामजस पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
1/1 मु. संतोष पत्नी स्व. रामजस
1/2 सुधीर पुत्र स्व. रामजस
1/3 अनिल पुत्र स्व. रामजस
1/4 शक्ति सिंह पुत्र स्व. रामजस
जाति समस्त जाट निवासीगण सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.
।
1/5 शीला पत्नी यशपाल पुत्री स्व. रामजस जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/6 सरिता पत्नी शशीकुमार पुत्री स्व. रामजस जाति जाट निवासी सेही तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 धर्मपाल पुत्र चन्दुराम
3 शीशराम पुत्र चन्दुराम
जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा प्रकरण
उनवानी रामजस वगै. बनाम हरीराम वगै. अ.धारा 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 342/2012
तारीख आदेश 28.12.2012

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र बजाड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 342/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 83 गै.मु. जोहड़ की उत्तरी सीमा से खसरा नम्बर 82/2 की पूर्वी व उत्तरी सींव के सहारे सहारे रास्ता खसरा नम्बर 52 तक खुलवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 28.12.2012 से स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश जैर बहस राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (राजकीय) (संसोधन) नियम 2012 के नियम 69 की पालना नहीं की है। भू अभिलेख इन्सपेक्टर ने मौका निरीक्षण नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक से मौका निरीक्षण हेतु आदेश पारित किया हो ऐसी साक्ष्य भी रिपोर्ट पर नहीं है। उक्त वर्जित नियम के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी जो निरीक्षक भू अभिलेख से नीचे की रैंक का न हो से निरीक्षण करवायेगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमन्त्रित करेगा। उक्त नियम के मुताबिक विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक से मौका मुआयना के आदेश ही पारित नहीं किये थे। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधि को नजर अन्दाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त नियम 69 के मुताबिक प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित नहीं किये। जमीन खसरा नम्बर 80/2 में 0.38 हैक्टेयर के खातेदार श्रीमती मोहरी पत्नी सागरसिंह, सज्जन सिंह, सरजीत सिंह पुत्रगण सागरसिंह, सुनीता पुत्री सागरसिंह जाति जाट निवासीगण सारी तहसील चिड़ावा है जिन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भुल की है। उक्त वर्णित व्यक्ति उक्त जमीन खसरा नम्बर 80/2 के सह खातेदार है इस तथ्य की जानकारी पटवारी, गिरदावर हल्का व तहसीलदार को रही है तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्टस द्वारा साक्ष्य पेश की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की प्लीडिंग को नजर अंदाज किया है। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्लीड किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के खेत में आने का रास्ता खसरा नम्बर 90/2 में से नही है और ना कभी रहा है और यह कथन किया कि कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 48 में से है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की प्लीडिंग की कोई जांच नहीं करवाई तथा ना ही स्वयं ने कोई जांच की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को साक्ष्य पेश करने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का समुचित अवसर नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (गर्वमेन्ट)(संशोधन) नियम 2012 के नियमों की अवहेलना कर आदेश जैर बहस पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने रास्ते के अस्तित्व के बाबत कोई लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इसके बावजूद भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजुद फर्द मौका दिनांक 12.12.2012 में खसरा नम्बर 82 पर जहां रास्ता दर्शित है वहां मौके पर आबादी है। इससे भी यह स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से मौका निरीक्षण किया नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 ने तथाकथित रास्ते का अस्तित्व लिखावट दिनांक 07.06.97 के द्वारा होना बताया है। उक्त तथाकथित लिखावट पत्रावली पर मौजुद नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्रकरण में समुचित सुनवाई नहीं की है और मौके की जांच अपीलान्टस की जवाब देही के मुताबिक नहीं करवाई है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 की प्लींडिग व निर्णय जैर बहस में विरोधाभाष है। तहसीलदार चिड़ावा की फर्द मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 82 के मध्य में रास्ता दिखाया है जबकि रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 3 के प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 82 में रास्ता भिन्न जगह से दर्शित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 का रास्ता जमीन खसरा नम्बर 48 में से रहा है और उक्त स्थान ही निकटतम स्थान है। खेत खसरा नम्बर 48 के सहारे से जाने वाले रास्ते से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत तक ही दुरी खसरा नम्बर 48 में से नाप नहीं करवाया विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भुल की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार अप्रार्थीगण की सम्यक

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तामील करवाई है। धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय में आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसमें स्पष्ट अंकन है कि ग्राम सारी की भूमि खसरा नम्बर 82/2 रकबा 1.21 हैक्टेयर की खातेदार हरिराम, इन्द्राज, बीरबल, श्याना, मनकोरी पिता भींवाराम जाति जाट निवासी सारी के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 453/52 रकबा 1.42 हैक्टेयर रामजस पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी सारी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ग्राम सारी की सरकारी भूमि गै.मु. जोहड़ में से खसरा नम्बर 80/2 में से एक रास्ता खसरा नम्बर 453/52 की सीमा तक जाता है, जो मौके पर प्रचलित रास्ता है तथा रिकार्ड में कटानशुदा नहीं है। जिसको ए से बी स्थान त कलाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसकी लम्बाई 252 मीटर है। वादीगण अपनी खातेदारी में मकान बनाकर आबाद है। उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खेत में आने जाने के लिए निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है। मौके पर ग्रामवासीगण तथा आवेदनकर्ता तथा पड़ौसी खातेदारान ने भी खसरा नम्बर 82/2 में से ही आना जाना बताया है। विचारण न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित कर रास्ता कायम करने के आदेश दिये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय में आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसमें स्पष्ट अंकन है कि ग्राम सारी की भूमि खसरा नम्बर 82/2 रकबा 1.21 हैक्टेयर की खातेदार हरिराम, इन्द्राज, बीरबल, श्याना, मनकोरी पिता भींवाराम जाति जाट निवासी सारी के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 453/52 रकबा 1.42 हैक्टेयर रामजस पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी सारी के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नाम से दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ग्राम सारी की सरकारी भूमि गै.मु. जोहड़ में से खसरा नम्बर 80/2 में से एक रास्ता खसरा नम्बर 453/52 की सीमा तक जाता है, जो मौके पर प्रचलित रास्ता है तथा रिकार्ड में कटानशुदा नहीं है। जिसको ए से बी स्थान त कलाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसकी लम्बाई 252 मीटर है। वादीगण अपनी खातेदारी में मकान बनाकर आबाद है। उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खेत में आने जाने के लिए निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है। मौके पर ग्रामवासीगण तथा आवेदनकर्ता तथा पड़ौसी खातेदारान ने भी खसरा नम्बर 82/2 में से ही आना जाना बताया है। विचारण न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित कर रास्ता कायम करने के आदेश दिये है।

पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता प्रचलित होने का तथ्य प्रमाणित है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य को विवेचित नहीं किया है कि प्रकरण धारा 251 ए की परिधि मे आता है अथवा धारा 251 में पोषणीय है। इस तथ्य के निर्धारण से पूर्व धारा 251 ए के अन्तर्गत पारित आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सर्वप्रथम यह निर्धारित करें कि प्रकरण धारा 251 ए की श्रेणी में है अथवा धारा 251 की परिधि में आता है। इसके उपरांत अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कार्यालय झुन्झुनूं)